राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक,

– अपीलार्थी/अभियोगी

बनाम

रामरूप पुत्र श्री गेंदा लाल निवासी मीना पाडा थाना मानपुर जिला दौसा।

–प्रत्यर्थी

उपस्थितिः–

1.अपीलार्थी/अभियोगी की ओर से – श्री राकेश विजय, अपर लोक अभियोजक
2.प्रत्यर्थी की ओर से – श्री बी.एल. शर्मा, एडवोकेट

रिपोर्ट/परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक	09.12.2014
आरोप सुनाने की दिनांक	27.05.2015
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	12.06.2015
साक्ष्य प्रतिरक्षा की दिनांक	NIL
बहस अंतिम की दिनांक	14.08.2025
निर्णय दिनांक	21.08.2025
दण्डादेश की दिनांक (If Any)	–
अपील पेश करने की दिनांक	20.11.2025
बहस अपील सुनने की दिनांक	23.06.2026
अपील निर्णय की दिनांक	24.06.2026

अभियुक्त का विवरणः–

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	रामरूप	–	–	379, 411 भा. द.सं.	**दोषमुक्त**	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः–

(अ) **अभियोजन साक्षीः–**

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.ड. 1	ललिता देवी	रिपोर्टकर्ता
पी.ड. 2	महावीर सिंह	वाकियाती साक्षी
पी.ड. 3	भीमा उर्फ बरमा	मोटरसाइकिल का स्वामी
पी.ड. 4	ओमवीर	वाकियाती साक्षी
पी.ड. 5	फूलचंद शर्मा	अनुसंधान अधिकारी

(ब) **प्रतिरक्षा साक्षी–**

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
–	–	–

(स) **न्यायालय साक्षी–** निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः–

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः–

क्रमांक	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी–3	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल
4.	प्रदर्श पी–4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
5.	प्रदर्श पी–5	धारा 41 का नोटिस
6.	प्रदर्श पी–6	चाक एफआईआर
7.	प्रदर्श पी–7	नक्शा मौका
8.	प्रदर्श पी–8	एफ.आर.

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
–	–	–

(स) न्यायालय दस्तावेजातः– निल

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई की पीठासीन अधिकारी शशि, आर.जे.एस. द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 238/2015 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम रामरूप, अपराध अन्तर्गत धारा 379, 411 भा.द.सं. में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2025 के विरुद्ध आपराधिक नियमित अपील।

निर्णय

दिनांक 24.06.2026

1. अपीलार्थी/अभियोगी अपर लोक अभियोजक की ओर से यह अपील मुख्य रूप

से इन आधारों पर पेश की गयी है कि न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से संक्षेप में विद्वान विचारण न्यायालय से संबोधित किया जाएगा) ने आलोच्य निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की गलत व्याख्या करके गलत निर्णय पारित किया है। पकडे गये मुलजिम का नाम रामरूप के स्थान पर रामवीर लिपिकीय त्रुटि से अंकित हुआ है। मोटरसाइकिल के स्वामी ने चोरी साबित की है तथा चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्त में अपील स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

2. बहस अपील सुनी गयी। अपनी जुबानी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियोगी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नहीं कर प्रस्तुत साक्ष्य का गलत निष्कर्ष निकालकर निर्णय पारित किया गया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रत्यर्थी राज्य सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से जुबानी बहस में तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर कर कानूनी रूप से सही निर्णय पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत एवं सकारण आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपील पत्रावली, विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 09/12/2014 को मन एचसी ललिता मय कानि, ओमवीर व कानि. महावीर मय जीप सरकारी चालक मोहनलाल वास्ते गश्त चैकिंग बदमाशान हेतु कस्बा में रवाना हुई थी। जैसे ही जाप्ता बडियाल रोड बांदीकुई पहुंचा तो मुखबिर ने इत्तला दी कि एक लडका जिसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल बिना नंबरी है जो नन्देरा से बांदीकुई की ओर आ रहा है। बाद मुखबिर की इत्तला मन एचसी मय जाप्ता के बडियाल रोड झालानी फाटक के पास पहुंचकर नाकाबंदी समय करीब 07.20 पीएम पर शुरू कर दी। समय 07.25 पीएम पर मुखबिर के बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति मय मोटरसाइकिल के पंचमुखी की तरफ से बांदीकुई की तरफ आया व पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को घुमाकर जाने लगा। जिसको मन एचसी द्वारा हमराही जाप्ते की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामरूप पुत्र श्री गेंदालाल होना बताया। उक्त व्यक्ति से मोटरसाइकिल के कागजात मांगे व बांदीकुई आने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। पुनः पूछने पर उसने अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया तथा मोटरसाइकिल चोरी की होना व बांदीकुई में बेचने हेतु लाना बताया... इत्यादि । जिस पर अभियोग संख्या 912/2014 अपराध अंतर्गत धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर दौराने अनुसंधान मुलजिम रामरूप के विरूद्ध जुर्म धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई के समक्ष पेश हुआ, जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. बहस चार्ज सुनी जाकर प्रत्यर्थी को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लिखित रूप में सुनाया व समझाया गया तो प्रत्यर्थी ने सुन–समझकर आरोप

अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। विचारण के दौरान पत्रावली अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदीकुई को प्राप्त हुई।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–1 लगायत 6 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी–1 लगायत प्रदर्शपी–8 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये।

8. प्रत्यर्थी/अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गये तो प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर किया एवं कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई।

9. उभय पक्ष की बहस सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 21.08.2025 के द्वारा अभियुक्त रामरूप को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया गया। उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी अपर लोक अभियोजक ने यह अपील पेश की है।

10. हस्तगत अपील के निस्तारण के लिए इस न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न ये हैं किः–

1. ***"आया विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2025 में प्रत्यर्थी/अभियुक्त रामरूप को जुर्म धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित करने में कानूनी व वाकयाती भूल की गयी है? "***
2. ***अनुतोष ?***

11. प्रत्येक अवधारणीय प्रश्न पर न्यायालय का विनिश्चिय निम्नानुसार हैः–

अवधारणीय प्रश्न संख्या 1

उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के विनिश्चय के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को देखना है। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य में कुल 6 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 08 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाहान में से गवाह पी.डब्ल्यू–1 ललिता देवी जो कि इस प्रकरण की परिवादिया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2014 को हम बडियाल रोड पर गश्त करते हुए पहुंचे तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक लडका चोरी की मोटरसाइकिल लेकर नन्देरा साइड से पंचमुखी साईड आ रहा है। झालानी फाटक के पास नाकाबंदी शुरू कर दी। सामने से आ रहा एक लडका पुलिस को देखकर वापिस जाने लगा तो तभी उसका पीछा करके हमने उसे पकड़ा तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामवीर होना बताया। मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। मोटरसाइकिल बिना नंबर सीडी डिलक्स थी। मोटरसाइकिल को मय मुलजिम जब्त कर थाने पर लेकर आए। मोटरसाइकिल की जब्ती प्रदर्श पी–3 बनाई गई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार इस गवाह ने जिस लडके को पकडा उसका नाम रामवीर होना बताया है। मोटरसाइकिल बिना नम्बरी होना बताया है। मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं। जिरह में गवाह ने इस मोटरसाइकिल के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर कांस्टेबल महावीर से दिखवाया जाना बताया है जबकि गवाह पी.डब्लू. 2 महावीर सिंह ने मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर देखने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.12.14 को वे बडियाल रोड पर गये थे इत्तला मिली थी कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर पंचमुखी से बांदीकुई की तरफ आ रहा है जिस पर

झालानी फाटक के पास रूकवाया और रूकवाकर पूछा तो उसके पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं मिले और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया जिस पर मोटटरसाइकिल को जप्त किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार इस गवाह ने परिवादिया के कथननुसार ना तो मोटरसाइकिल चालक को वापस जाते हुए पकडने का कथन किया है और ना ही जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर देखने का कथन किया है। इस गवाह के द्वारा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं। गवाह पी.डब्लू. 3 भीमा उर्फ बरमा जो कि इस प्रकरण में मोटरसाइकिल का स्वामी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी मोटरसाइकिल 2014 में आठवें नवें महीने में किशनगढ़ अजमेर से चोरी हुई थी जो बांदीकुई से बरामद हुई थी। उसकी मोटरसाइकिल के नंबर आरजे–37–एसजी–7822 थे जिसकी एफआईआर किशनगढ़ में मदनगंज थाने में दर्ज करवाई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी–6 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया कि उसके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी तथा मोटरसाइकिल किससे बरामद हुई उसे पता नहीं। इस प्रकार उक्त गवाह ने मोटरसाइकिल संख्या आरजे–37–एसजी–7822 किशनगढ अजमेर से चोरी होना बताया है तथा बांदीकुई में बरामद होना बताया है परन्तु किससे बरामद हुई इसकी जानकारी होने से इन्कार किया है। गवाह द्वारा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं। गवाह पी.डब्लू. 4 ओमवीर जो कि पुलिस जाप्ते का सदस्य है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 09.12.2014 को ललिता एचसी के द्वारा मोटरसाइकिल सीडी डिल्क्स जप्त की गई थी बिना नम्बरी इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर आज ध्यान नहीं है। रामरूप को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार इस गवाह ने भी मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर ध्यान नहीं होने का कथन किया है। गवाह पी.डब्लू. 6 फूलचंद इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी

है जिसने प्रकरण का अनुसंधान करने के संबंध में कथन किए हैं तथा बाद अनुसंधान पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द करने का कथन किया है तथा एसएचओ द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल मालिक के बयान दर्ज नहीं किए गए। इस प्रकार गवाह के द्वारा मोटरसाइकिल के मालिक को अनुसंधान में सम्मिलित करने से इन्कार किया गया है।

12. प्रकरण में दर्ज एफआईआर के अनुसार मोटरसाइकिल बिना नम्बरी जिसके इंजन नम्बर H11EFD9M10798 व चेचिस नम्बर MBLHA11AED9219002 थे अर्थात जप्तशुदा मोटरसाइकिल की पहचान इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज की गई है परन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्लू. 1 ललिता देवी परिवादीया ने जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं और जिरह में जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर कांस्टेबल महावीर से दिखवाया जाना बताया है। जबकि कांस्टेबल महावीर गवाह पी.डब्लू. 2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर को देखने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साथ ही अपने मुख्य परीक्षण व जिरह में जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं। अर्थात इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर से संबंधित एफआईआर के कन्टेन्ट की ताईद नहीं की गई है। जप्तशुदा मोटरसाइकिल के मालिक एवं गवाह पी.डब्लू. 3 भीमा उर्फ बरमा ने जप्तशुदा मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर नहीं बताये हैं बल्कि मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नम्बर बताये हैं जबकि रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। मोटरसाइकिल की पहचान रजिस्ट्रेशन नम्बर से होना अंकित नहीं किया गया है बल्कि मोटरसाइकिल बिना नम्बरी बतायी गयी है। गवाह पी.डब्लू. 4 ओमवीर ने जप्तशुदा

मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर ध्यान नहीं होने का कथन किया है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्लू. 5 फूलचंद ने मोटरसाइकल के मालिक को अनुसंधान में शामिल करने से ही इन्कार किया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्लू. 1 ललिता देवी स्वयं परिवादिया ने जिस व्यक्ति को रूकवाया और जिस व्यक्ति से मोटरसाइकिल को जप्त किया उस व्यक्ति का नाम रामवीर होना बताया है जबकि प्रकरण का अभियुक्त रामरूप है। अतः जिस व्यक्ति से मोटरसाइकिल जप्त की गई है उससे अलग व्यक्ति से मोटरसाइकिल जप्त करना गवाह पी.डब्लू. 1 ललिता देवी ने बताया है। हालांकि अपर लोक अभियोजक का इस संबंध में तर्क रहा है कि गवाह की मुख्य परीक्षा के दौरान टाईप मिस्टेक से रामरूप के स्थान पर रामवीर शब्द अंकित हो गया। इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता परन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के मामले को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है इसलिए अभियोजन की साक्ष्य में किसी प्रकार का संदेह रहने की दशा में अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होता है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का नाम रामवीर बताये जाने के अलावा प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जिस मोटरसाइकिल को जप्त करना बताया है, उस मोटरसाइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर अभियोजन के गवाहान के द्वारा नहीं बताये गये हैं। अतः जप्तशुदा मोटरसाइकिल की पहचान के संबंध में भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं आई है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पडे तथा निर्णय को बदलने की आवश्यकता पडे। न्यायिक दृष्टान्त **चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 SCC 415** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति से अपील की सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैंः–

1. यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव है, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

2. अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के मामले में यह ध्यान में रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरा अनुमान है। आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्त के तहत अभियुक्त के लिए उपलब्ध बेगुनाही का अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उसे सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता है। दूसरा यदि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है, तो उसकी बेगुनाही की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और मजबूत व पुष्ट किया गया है।

13. हस्तगत प्रकरण में भी पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति के संबंध में निष्कर्ष संभव है इसलिए विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा मजबूत और पुष्ट किया गया है। अतः इस न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अवधारणीय प्रश्न संख्या 1 का विनिश्चय अपीलार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

14. **<u>अनुतोषः</u>**–

अवधारणीय प्रश्न संख्या–1 का विनिश्चय अपीलार्थी के विरूद्ध रहा है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.08.2025 पुष्ट किए जाने योग्य है। फलतः विधि एवं न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में निम्न आदेश पारित किए जाते हैं –

–आदेश–

15. अतः अपीलार्थी राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक संख्या 1 बांदीकुई की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 238/2015 बउनवान सरकार बनाम रामरूप में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावें।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सैशन न्यायाधीश संख्या –01,
बांदीकुई, जिला दौसा

17. निर्णय अपील आज दिनांक 24.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सैशन न्यायाधीश संख्या –01,
बांदीकुई, जिला दौसा